आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)b के तहत आर०एम० वाद सं०-04/2017-18 मो० बिसला देवी......विक्रेता

अश्विनी कुमार महतो...........क्रेता

22.10.22

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सोनाहातु के द्वारा इस वाद में जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है। उक्त वाद में विक्रेता एवं क्रेता को इस न्यायालय के जापांक—972(ii) / रा० दिनांक—21.09.2022, एवं ज्ञापांक—1098(ii) / रा० दिनांक-14.10.2022, के द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेत् नोटिस निर्गत किया गया है। जिसके पश्चात भी विक्रेता/क्रेता न्यायालय में अनुपस्थित है। विक्रेता मो० बिसला देवी पति—स्व० माली महतो, ग्राम—बारूहातु टोला, दानाडीह, पो०-दानाडीह, थाना-सोनाहात्, जिला-राँची, झारखण्ड जाति-कुर्मी, पेशा-गृहिणी, एवं उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस अनुमति वाद में किसी भी तरह की पैरवी नहीं की जा रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि विक्रेता / क्रेता को इस अनुमति वाद में किसी प्रकार की कोई अभिरूचि नहीं है।

अतः ऐसी परिस्थित में उपरोक्त अनुमित की कार्यवाही समाप्त की जाती

है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना / थाना	खाता सं०	प्लॉट	रकबा
	स०		सं०	
बारूहातु	60	126	1455	0.05 ए०

लेखापित एंव संशोधित। भूमि सुधार कुरेप्रे समाहर्ता, बुण्डू (राँची)।

भूमि सुधार हिंप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)।